



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2020

क्र.—एफ—ए—3—60—2015—1—पांच (41).— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9—क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—60/2015/1/पांच (55) दिनांक 5 जुलाई, 2019 में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, —

1. अनुक्रमांक 1 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक “रूपये 3 एवं पैसा 50 प्रति लीटर” के स्थान पर शब्द एवं अंक “रूपये 4 एवं पैसा 50 प्रति लीटर”, एवं
2. अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक “रूपये 2 प्रति लीटर” के स्थान पर शब्द एवं अंक “रूपये 3 प्रति लीटर”, प्रतिस्थापित किए जाएं।

2- यह अधिसूचना दिनांक 13 जून 2020 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.डी रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2020

क्र.-एफ-ए-3-60-2015-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (41), दिनांक 12 जून, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 12th June 2020

No. F-A-3-60-2015-I-V (41).- In exercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No.20 of 2002) the State Government hereby amends the department's Notification No. F A 3-60/2015/1/V (55) dated 5th July, 2019, namely :-

AMENDMENTS

In the Table, of the said notification, -

1. In column (3) of entry No. 1, for the words and figures "Rupee 3 and 50 Paisa per liter" the words and figures "Rupee 4 and 50 Paisa per liter", and
2. In column (3) of entry No. 2, for the words and figures "Rupee 2 per liter" the words and figures "Rupee 3 per liter", shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 13th June 2020.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.